



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2025/D-23

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 257241 दिनांक 01/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Anil Kumar S/o Hari Mohan Singhal एवं Alka Garg W/o Anil Kumar Singhal	श्री सुनील कुमार जैन पुत्र श्री माणक चन्द जैन एवं श्रीमती अनिता जैन पत्नी श्री सुनील कुमार जैन	6	270.83 SQ. YARD	Cooperative	GAYATRI NAGAR-A (NAVJEEVA N GNSS) Sector/Block-	Issue Free Hold E- Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	श्री सुनील कुमार जैन एवं श्रीमती अनिता जैन द्वारा उक्त भूखण्ड बाबत दिनांक 07.04.2015 को श्रीमती सविता जैन पत्नी श्री रितेश जैन के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तथा श्रीमती सविता जैन द्वारा उक्त भूखण्ड बाबत दिनांक 07.11.2019 को श्री अनिल कुमार सिंघल पुत्र श्री हरि मोहन सिंघल एवं श्रीमती अलका गर्ग पत्नी श्री अनिल कुमार सिंघल के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Anil Kumar S/o Hari Mohan Singhal एवं Alka Garg W/o Anil Kumar Singhal को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |